

सार्वजनिक सूचना / मुनादी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा सरकार द्वारा नगरपालिका कलानौर क्षेत्र में कालोनियाँ स्वीकृत की गई है / प्रस्तावित है, जिसमें नगरपालिका कलानौर द्वारा विभिन्न विकास कार्य जैसे गलियों का निर्माण, स्ट्रीट लाईट लगाना इत्यादि कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है। इस बारे गलियों का विवरण व किले/खसरे का विवरण इत्यादि नगरपालिका कलानौर कार्यालय में उपलब्ध है। अगर किसी व्यक्ति विशेष, प्रोपर्टी डीलर, संस्था व आमजन को कोई आपति है तो दिनांक 16 अगस्त 2024 साय: 05 बजे तक लिखित में तथ्यों एवं सबूतों सहित अपनी आपति नगरपालिका कलानौर कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं। उक्त तिथि उपरांत किसी भी प्रकार की आपति व दावे स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।

सूचित रहे।



सचिव

नगरपालिका कलानौर।